(d) whether a tentative draft of the proposed legislation was circulated to the State Governments and Union Territories for their comments; and

(e) if so, what are their comments and by what time the final decision in regard to the legislation is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) and (e) Proposal for a Central Legislation for Agricultural Workers was considered and a tentative draft of the Legislation was circulated to the State Governments and various interests concerned. Later on, the matter was discussed at Labour Minister's Conference, but no conclusion could be reached on account of the various difficulties expressed in the implementation of a uniform legislation owing to diversity of conditions obtaining from State to State and the divergent views expressed by the State Labour Minister's. A Working Group for in-depth study of the proposal was also constituted but no consensus could be reached in the Working Group. It has, therefore, been decided finally that suitable legislation to regulate the working conditions and to provide for welfare of Agricultural Workers may be enacted by the State Governments themselves.

Reorganisation of Public Sector Fertilizer Plants

2616. SHRI ASHFAQ HUSSAIN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is any Plan, before Government for reorganisation of public sector fertilizer plants; and

(b) if so, the reasons for the second reorganisation within a short period?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b) With a view to bring about improvement in the performance of the public sector fertilizer companies Government is examining various proposals including restructuring of the companies.

20 लाख रुपये तक की फिल्मों की सीधी बिक्री और खरीद

2617. **श्री तारिक अनवर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 20 लाख रुपए तक की फिल्मों की सीधी बिक्री और खरीद की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति को स्वीकार करती है कि 20 लाख रुपए से अधिक की फिल्मों के सौदों के मामले में 20 लाख रुपए का भुगतान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से किया जायेगा और शेष राशि के भुगतान का हिसाब नहीं रखा जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फिल्मों की बिक्री और खरीद के सभी सौदों का काम निगम को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) गैर-सरकारी भारतीय पार्टियों द्वारा 20 लाख रुपए तक की फीचर फिल्मों का सीमित संख्या में आयात किए जाने के लिए 3 जनवरी से 17 जनवरी, 1983 तक हुए नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान एक सीमित मुक्त बाजार लगाया गया था।

(ख) क्योंकि रायल्टी और प्रिन्टों की लागत सहित, किन्तु सीमा शुल्क को

छोड़कर आयात का समग्र मूल्य 20 लाख रुपये तक सीमित होगा, इसलिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कोई भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

(ग) और (घ) आयात नीति के अनुसार भारत में फीचर फिल्मों का आयात ओपन जनरल लाइसेन्स के अन्तर्गत सरकार द्वारा रिलीज की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर केवल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा ही किया जाता है । तथापि, मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका और सोवेक्स पोर्ट फिल्मस को विशेष प्रबन्धों के आधार पर भारत में फीचर फिल्मों का आयात करने की अनुमति है । नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान गैर सरकारी भारतीय पार्टियों द्वारा फिल्मों का सीमित आयात किए जाने की की अनुमति भी आयात नीति " को शिथिल करके प्रयोगात्मक आधार पर दी गई थी ;

कुकिंग गैस की नई एजेन्सियों का आवंटन

2618. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान, कुकिंग गैस की कितनी नई एजेन्सियां दी गई और प्रत्येक एजेन्सी के पास कितने कनेक्शनों के लिए नाम रजिस्टर्ड हुए ;

(ख) कुकिंग गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलैंडरों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है, जहां कुकिंग गैस के सिलिण्डरों की नियमित सप्लाई नहीं की जाती है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 की योजनाओं के प्रति, 31-12-1982 की यथा स्थिति के अनुसार कुल 388 एजेंसियों चालू की गई । इन चालू की गई एजेंसियों तथा विद्यमान एजेंसियों द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 10 लाख गैस कनैक्शन दर्ज किये गये थे । नए गैस कनैक्शनों के लिए एजेंसिवार पंजीयन का रिकार्ड सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है ।

(ख) खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं को सिलेंडरों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध विद्यमान हैं :—

(1) सिलेंडरों के पूरी तरह से समाप्त हो जाने से बचने के लिए तेल कंपनियां दिन-प्रतिदिन के आधार पर डीलरों को की गई सिलेंडरों की सप्लाई को बड़े ध्यानपूर्वक देखभाल करती हैं ;

(2) डीलरों के अपनी डिलीवरी प्रणाली में वृद्धि/सुधार करने के लिए तैयार करना ;

(3) डीलरों को सिलेंडरों की पर्याप्त स्टाक की व्यवस्था प्रदान करना ;

(4) डीलरों को सिलेंडर का पर्याप्त भंडार दिलवाना ; और

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की ढील तथा कदाचार प्रवेश तो न कर जाएं, ग्राहक सेवा कक्ष समग्र वितरण प्रणाली की निगरानी भी करता है ।

(ग) कभी-कभी कमियों को दूर करने के लिए जो कार्य-संचालनात्मक कारण जैसे कि परिवहन समस्याएं, औद्योगिक सम्बन्ध समस्याएं, बिजली कटौती आदि के कारण होती हैं, तेल कम्पनियों द्वारा वैकल्पिक